मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 19, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। शिक्षा गारंटी शालाओं में पदस्थ गुरुजियों को संविदा शिक्षक बनाए जाने बाबत प्रश्न संख्या 20 (क्र. 909) पर श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 156 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने बैतूल शहर में नाबालिग लड़की के बलात्कारियों द्वारा महिला की हत्या की जाने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान में अनियमितता करने,
(3) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित अस्पताल में स्टाफ की कमी होने,
(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले की शालाओं में मेन्यू के अनुसार नियमित मध्याह्न भोजन न दिये जाने,
(5) श्री अजय सिंह, सदस्य ने सीधी के ग्राम पाठ रोजहा,उदयपुर, बीछीपतेर में जंगली पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट करने,
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा न दिये जाने तथा
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले में एड्स की रोकथाम के अभाव में मौतें होने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2009-10 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखी।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा वैद्यनाथन पैकेज की शर्तों का पालन न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री सुखदेव पांसे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण ने बैतूल जिले के ग्राम पाथाखेड़ा के विद्यालय में पिटाई से घायल छात्र की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया। तत्पश्चात् श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के अन्य सदस्यगण द्वारा भी सदन से बहिर्गमन किया गया। साथ ही, श्री रामलखन सिंह, सदस्य द्वारा भी सदन से बहिर्गमन किया गया।)

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री खुमान सिंह शिवाजी, सदस्य को विधान सभा के दिसम्बर, 2012 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री पारस सकलेचा

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्री रामनिवास रावत

(अपराह्न 1.00 से 3.07 बजे तक अन्तराल)

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 28 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 28 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक संबंधी जानकारी दी।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(5) श्री रमेश प्रसाद खटीक

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. अध्यक्षीय घोषणा

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 पर खण्डश: विचार बाद में किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने अपना उत्तर देते हुए आसंदी से न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पर अगले किसी दिन चर्चा कराने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि शासन इसमें संशोधन लाना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि इस विधेयक के भारसाधक सदस्य (डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री) के प्रस्ताव के अनुसार न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 पर शेष चर्चा बाद में की जाएगी।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) डॉ. गोविन्द सिंह

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012)	1 घन्टा
3.	मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012)	30 मिनट
	शासकीय संकल्प	
1.	प्रदेश में वर्ष 2002-03 के बी.पी.एल. सर्वे के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली प्रदेश की जनता के जीवन को उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बनाये जाने संबंधी संकल्प	1 घन्टा
	नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचनाएं	
1.	प्रदेश में निरंतर बढ़ती शिशु मृत्यु दर एवं भ्रूण हत्याओं के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की सूचना	1 घन्टा 30 मिनट
2.	प्रदेश में निरंतर बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सूचना	1 घन्टा 30 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उपाध्यक्ष महोदय ने अभी जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 20, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2012